

**राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा विभाग  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजन) अनुभाग**

आयुक्त, राजस्थान शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

जयपुर दिनांक: 26/9/08

विद्यमान  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर।

विद्यमान आगत में निम्नी श्रेणी में संचालित शिक्षण प्रकल्पों की संख्या को दो वर्षीय विद्यमान प्रकल्पों काटकर  
संशुद्ध संख्या में आगे के लिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाने चाहिए।

**संशुद्ध**

संपूर्ण विद्यमान प्रकल्पों का अध्ययन शिक्षण संस्थान (NCERT) जयपुर से जारी मान्यता/सोर्ट अथवा  
अन्य के आधार पर विद्यमान प्रकल्पों के विद्यमान प्रकल्पों की संख्या को संशुद्ध करके  
प्रवेश 2 में अधिक प्रकल्पों को प्रकल्प में ही प्रवेश करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया  
आगत में ही विद्यमान प्रकल्पों में सम्मिलित करने की आवश्यकता महसूस करके प्रकल्पों  
जयपुर में एक मुद्रा प्रकल्पों/ - नगरीय विद्यमान प्रकल्पों/ शारित (Non-refundable) के रूप में बैंक द्वारा  
प्रकल्पों से प्रवेश कराया जायेगी शर्त पर प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	संस्था का नाम	एडमिशन का नाम	सीट संख्या
(1)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(2)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, बीकानेर	STC	50
(3)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(4)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(5)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(6)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(7)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50 (सीट रिट)
(8)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(9)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(10)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(11)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50 (सीट रिट)
(12)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(13)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50 (सीट रिट)
(14)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50
(15)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50 (सीट रिट)
(16)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	DEF (STC)	50
(17)	राजस्थान राज्य शिक्षण आयोग, जयपुर	STC	50

- उपरोक्त विद्यमान संस्थाओं में निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जायेगी:
1. प्रवेश में: न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: शैक्षिक संकाय/शैक्षिक आयोग द्वारा निर्धारित अक्षांश (10+2) प्रकल्पों में प्रवेश करने के लिए 45 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण होनी चाहिए। समकक्ष परीक्षा में प्रवेश में सम्मिलित होना राजस्थान सरकार से सम्बंधित प्रकल्पों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक होगा। इसी में प्रवेश करने के लिए अथवा उत्तीर्ण प्रकल्प न्यूनतम 5 दिनों के साथ प्रवेश से 3 दिनों के अन्दर ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।
  2. शैक्षिक संकाय: 09 में उत्तीर्ण/उत्तीर्ण प्रकल्पों में प्रवेश की प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रवेश करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।

*(Handwritten Signature)*

3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के कार्यक्रम में वर्तमान प्रभावी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

4. प्राथमिक में प्रवेश हेतु अन्य सीटों तथा सरकार के कार्यक्रम में प्रचलित विद्यमान के अनुसार रखी जायेगी।

5. एन सी टी ई द्वारा निर्धारित निर्धारित शर्तों की पूर्ति परवात संस्था को छात्र आवंटित किये जायें-

(iv) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

(v) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

(vi) The institution shall make admission only when it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (नायका) सॉल्टडक और (नॉर्थ) सिनेम 2007 के विनियम 8(12) के तहत इन संस्थाओं को उपयुक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/अनुसूचित प्राप्त करनी पड़ेगी। जबकि इनकी विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और निर्देशों/नियमों के तहत उपयुक्त प्राप्त होने के बाद ही प्रवेशार्थी छात्र प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। उल्लेखित इन संस्थाओं को जमा राशियाँ 5 (i) पर अंकित शर्तों की पालना एवं सचिव, बालिका शिक्षा प्रायोजन, जयपुर में ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति पर्यंत प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जायेंगे।

  
शासन उप सचिव  
प्राथमिक शिक्षा (आयोजन)

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जात है -

1. जिला सचिव, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
2. जिला सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3. जिला सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
4. अधीक्षक, शिक्षा विभागीय संग्रहालय, राजस्थान, जयपुर
5. अधीक्षक, राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
6. अध्यक्ष, बीएसटीसी/एनसीटी 2008 व प्रमुख, राजस्थान महाविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर तथा 3 कि. जमाया क्लब/संग्रहालय में सम्मिलित करने के लिए निर्धारित कोष राशियाँ एवं शर्तों जमा करवाने सुनिश्चित करें।
7. सचिव, बालिका शिक्षा प्रायोजन, जयपुर
8. संबंधित संस्था
9. शिक्षा पत्रिका

  
शासन उप सचिव